

04.6.25

पञ्जावली पेश हुई । अधिवक्ता  
प्रार्थीगण उप. । अधिवक्ता प्रार्थीगण  
ने पत्थरगाड़ी पर निर्णय पारित करने  
का निवेदन किया । हमने पञ्जावली  
का अवलोकन व अध्ययन किया  
पञ्जावली के अवलोकन से जानकारी के  
आम है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण ने  
सभी सह खातेदारों को प्रार्थीगण  
के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं  
किया । ऐसी सूचना से पत्थरगाड़ी  
पर आदेश पारित करना विधि सम्मत  
नहीं होने से प्रार्थीगण का प्र.पत्र इसी  
रूप पर खारिज किसे जाने के आदेश  
दिये जाते हैं । पञ्जावली फैसला  
शुमार लेकर नम्बर 10 कम है ।

(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं  
उपमण्डल अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)